

यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

क्र.	फर्द अहकाम	
------	------------	--

~~उपखण्ड उपखण्ड/प्रीमरीन अधिकारी~~
 पत्रावली है। अलावेकर दिनांक.....से पेश हो

19/12/23 पत्रावली पेश हुई। वल्लालाज उपखण्ड।
 उपखण्ड में सायल वकील ने अनुरोध कराया
 कि सायल उपखण्ड आगे नहीं चलाना चाहे
 है। सायल उपखण्ड नोटिस में खारिज
 करना चाहे। अह: मु.नं. 290/2021
 T.D. एडिटर जनम अखीर नोटिस में
 खारिज किया जा रहा है। पत्रावली केस ल
 सुमार होकर नम्बर में समाप्त।

Sir
 Not Proch
 [Signature]

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (करोली)